न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां केम्प सदारामजी का खेडा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–28/2014 दायर तारीख 11.04.14

अनवान

धापू देवी पत्नि धन्नालाल जाति भील उम्र बालिग निवासी केरखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

.....वादीया

बनाम

कमलेश पिता बालू जाति भील उम्र बालिग निवासी मोतीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....प्रतिवादी

उपस्थितः– दिनेशचन्द्र तम्बोली अधिवक्ता वादी
सुनील जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी एकपक्षिय

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 22.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा में वादीया के खाते एंव कब्जे काश्त में आराजी ख0नं0 318/294 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है वादीया उक्त भूमि पर काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करती चला आ रही है। ग्राम मोतीपुरा में स्थित आ0नं0 318/294 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी कमलेश का किसी प्रकार का हक अधिकार नही है। प्रतिवादी कमलेश आये दिन वादीया के साथ लडाई झगडा करता है व वादीया को जबरन बेदखल करने की धमकी देता है। दिनांक 24.04.2014 को प्रतिवादी मौके पर आया व वादीया के साथ लडाई झगडा किया वादीया ने गेहूँ की फसल काश्त कर रखी थी। प्रतिवादी ने अनावश्यक विवाद किया प्रतिवादी वादीया को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी कमलेश को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है अन्यथा वादीया को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई सम्भव नही है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो अनावश्यक मुकदमे बाजी बढने की पूरी पूरी सम्भावना है। वाद हेतु कारण दिनांक 24.04.2014 से उत्पन्न होकर सतत् रुप से जारी है। वादी ने अनुतोष चाहा कि ग्राम मोतीपुरा में स्थित आ0नं0 318/294 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि में वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादी दखलन्दाजी नही करे वादीया को बेदखल नही करे, इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरुद्व प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे। वादपत्र डिक्री फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी की और से सुनिल जोशी अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु अवसर चाहा।

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की गई।

साक्ष्य वादी में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है जिससे शहादत वादी बंद की जाती है।

बहस एकपक्षिय वादी अधिवक्ता की सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

वादीया ने वादपत्र के साथ नकल सलंग्न जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 अनुसार वादी रिकार्डेड खातेदार है। अतः वादपत्र वादीया के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित वादी की रिकार्डेड खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे, न ही अन्य से करावे। प्रकरण भी एकपक्षिय है अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का सदारामजी का खेडा में स्थित कृषि खातेदारी भूमि ख0नं0 318/294 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादी वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नही करे, न ही अन्य से करावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2018 को मुकाम सदारामजी का खेडा लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। 22/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलिया
(केम्प सदाराम जी का खेडा)